न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 319 सन 2018

अनवान :—

1. विश्वनाथ पुत्र पूर्णराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. पूर्णराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. सन्दीप कुमार पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
3. कान्ता पुत्री पूर्णराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :— 14.08.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 147/149 के प0न0 367/381(67) के किला न0 25/0.253 , प0न0 368/381(68) किला न0 16 ता 25/2.4790हैक , प0न0 0 मु0न0 111/121 के किला न0 0/2 की 0.0506हैक भूमि पूर्व में वादी की दादी के नाम से दर्ज थी एवं चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 59/58 के प0न0 369/381(69) के किला न0 6 ता 9 व 15 प्रत्येक 0.253 , प0न0 370/381(70) किला न0 1 ता 10/2.28965हैक व प0न0 111/29 के किला न0 0/1 की 0.0506हैक गै0मु0 रास्ता मु0न0 113/32 के किला न0 0 की 0.18975हैक गै0मु0 रास्ता कुल 3.7950हैक भूमि व रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 60/24 के प0न0 368/378 (26) के किला न0 16 ता 19 ,22 /1.2650हैक प0न0 368/379(39) के किला न0 2 ,9 ,12 ,19 ,21 ,22/1.5180हैक प0न0 368/380(57) के किला न0 1 ,2/0.4554हैक प0न0 0 मु0न0 111/4 के किला न0 0 की 0.0506हैक गै0मु0 खाला कुल 3.2890हैक भूमि जिसमें सयुक्त तोर से 0.8223हैक के पूर्णमल पुत्र जोतराम खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उसके पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में रोही मौजा 6 जेएसएन के खाता संख्या 147/149 की कुल 2.7830हैक में से सयुक्त तौर से 1.3915हैक व रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 59/58 की कुल 3.7950हैक व रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 60/24 की कुल 3.2890 है में से सयुक्त तौर से 0.8223हैक भूमि आई है विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन

किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों समर्थन में पूर्व में राजीनामा पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 जेएसएन के खाता संख्या 147/149 की कुल 2.7830हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.3615हैक में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बक 6 जेएसएन के खाता संख्या 59/58 की कुल 3.7950हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा बक 6 जेएसएन के खाता संख्या 60/24 की कुल 3.2890हैक मे से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.8223हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official